न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी, R.T.S.

मिसल नं. ::: 31/2020

सरकार बनाम किशनलाल पुत्र गणपत, जाति–माली, निवासी– पिलानी वगैरह

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 30.07.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान किशनलाल पुत्र गणपत, नरेश, ओमप्रकाश पि. प्रसादीराम, संजय, सुभाष, पि. शंकरलाल, जाति–माली, निवासी– पिलानी ने रोही मौजा पिलानी की राजकीय भूमि ख.नं. 1640/1484 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.03 है0 पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायालान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ग्राम पिलानी के ख.नं. 1640/1484 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु. रास्ते पर उन्होने कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। उक्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि बताया है तथा स्वयं की जमीन में तारबन्दी करना एवं पड़ौसी खातेदार ने परेशान करने के लिए झूठी शिकायत करना जवाब में अंकित किया है। चूंकि गै.मु. रास्ते की राजकीय भूमि सरकारी भूमि पैतृक भूमि नही मानी जा सकती है। गैर सालयान ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किये है। अतः गैर सायलान का जवाब सही नही माना जा सकता है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं......16...... पर
वर्ष 2020-21 में रूपये...9/-... कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़